

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2666]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 2666]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3356(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898(1898 का 9) की धारा 2 के खंड(घ) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 अक्टूबर, 2014 में का. आ. 2666 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2014, द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पैरा 3, उप-पैरा (vi) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(vi) स्वच्छता आयात परमिट प्रसंस्कृत पशुधन उत्पादों जैसे मात्स्यिकी उत्पाद, कुक्कुट, सूअर, भेड़ तथा बकरी के मांस उत्पाद, पालतू पशुओं के खाद्य, प्रसंस्कृत सूअर के बाल तथा प्रसंस्कृत पंखों के आयात के हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा:

परन्तु यह स्वच्छता आयात परमिट प्रसंस्कृत ताप अभिक्रिमित दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के आयात के लिए तीन मास की अवधि के लिए मान्य होगा, किन्तु आयातकर्ताओं के, लेखबद्ध किए गए कारणों से, अनुरोध पर तीन मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि स्वच्छता आयात परमिट अप्रसंस्कृत पशुधन उत्पादों के लिए छह मास की अवधि हेतु मान्य होगा किन्तु आयातकर्ताओं के, लेखबद्ध किए गए कारणों से, उसे और छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।”।

[फा. सं. 110-2/2013-व्यापार]

डॉ. ए. जे. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.सं.2666 (अ) तारीख 17 अक्तूबर, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2015

S.O. 3356(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 and Section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, dated the 16th October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section(ii), vide S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014, namely:

In the said notification, in the Schedule, in paragraph 3, for sub-paragraph (vi), the following shall be substituted, namely:-

“(vi) The Sanitary Import Permit shall be valid for a period of one year for import of processed livestock products, such as fishery products, meat products of poultry, pig, sheep and goat, pet food, processed pig bristles and processed feather:

Provided further that the Sanitary Import Permit shall be valid for a period of three months for import of processed heat treated milk and milk products, but may be extended for a further period of three months, on request from the importer for reasons to be recorded in writing:

Provided also that the Sanitary Import Permit shall be valid for a period of six months for unprocessed livestock products but may be extended for a further period of six months, on request from the importer and for reasons to be recorded in writing”.

[F. No. 110-2/2013-Trade]

Dr. A. J.V. PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014.